सेवा का अधिकार अधिनियम योजनाओं का निर्धारित समय में लाभ हासिल करने का एक सशक्त माध्यम : मुख्य आयुक्त

संबोधित करते मुख्य वक्ता व मौजूद अधिकारीगण व अन्य।

(चुग्गी)

यमुनानगर, 28 सितम्बर (ब्यूरो) : हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत लापरवाही करने वाले चार अधिकारियों व कर्मचारियों को जुर्माना लगाया जा चुका है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा प्रावधान किया गया है कि लापरवाही के कारण जिस अधिकारी व कर्मचारी को तीन बार जुर्माना लगेगा उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने स्थानीय स्वर्ण जंयती हाल में आयोजित एक दिवसीय और जिला स्तरीय कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य जनता को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ निर्धारित समय अवधि में सम्मानपूर्वक व सुविधापूर्वक तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। योजनाओं के लिए कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों को रिजैक्ट करने की दर निम्न स्तर पर लाकर सभी योग्य पात्रों को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तक 31 विभागों और 38 ऑग्रेनाइजेशन की 546 सेवाएं इस अधिनियम के तहत नोटिफाइड की गई हैं और जनता व जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किसानों, व्यापारियों व आम नागरिक के जीवन से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी शीघ्र नोटिफाइड किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सेवा का अधिकार अधिनियम योजनाओं का निर्धारित समय अवधि में लाभ हासिल करने का एक सशक्त माध्यम है लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अभी तक प्रदेश के लोग इस आयोग की सेवाओं का पूरा लाभ हासिल नहीं कर पर रहे थे। आयोग ने जिला स्तर पर अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित कर जागरूकता लाने का अभियान आरंभ किया है।

आज यमुनानगर में यह 17वां जिला स्तरीय कार्यक्रम है। गांव स्तर तक सेवाओं व उनका लाभ हासिल करने की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सरपंचों व जिला पार्षदों को लिखित प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यह 546 सेवाएं जिन विभागों व ऑग्रेनाइजेशन से सम्बंधित है। उन सभी के कार्यालयों के बाहर भी सेवाओं व उनका लाभ प्रदान करने के अवधि के बारे में सूचना पट्ट लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गलत आवेदनों को रोकने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से अंत्योदय सरल केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों और अटल सेवा केन्द्रों पर कार्य करने वाले इंटरपैनयोर को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का एक मात्र राज्य

मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सम्बंधित कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा समय पर कार्य न होने के कारण लोग सेवाओं से वंचित रह जाते थे और ज्ञान के अभाव के कारण उच्चाधिकारियों को अपील नहीं करते थे।

इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑटो अपील साफ्टवेयर आस लांच किया गया है जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि समय पर सेवा का लाभ नहीं मिलता तो आवेदक की अपील इस साफ्टवेयर के माध्यम से स्वयं उच्चाधिकारियों और वहां समाधान न होने पर आयोग तक चली जाएगी। इस साफ्टवेयर से सरकारी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लोगों को पारदर्शी तरीके से व सुविधापूर्ण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा लोगों से आवेदन पत्रों के साथ तरह-तरह के एफिडेविट न मांगे जाए। दस्तावेजों को कम करना भी इस अधिनियम का उद्देश्य है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उद्देश्य प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाना है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्वच्छ हरियाणा एप का प्रयोग करें। इस अवसर पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता, नगर निगम के मेयर मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।